

प्रेषक,

नूरी अंसार,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट-द्वितीय
फैजाबाद।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक(एम)
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

महोदय,

1- वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक्सिस लॉग टर्म इक्विटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड एवं आई0सी0आई0सी0आई0 इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड में कोई धनराशि जमा नहीं की गई। उक्त दोनों बॉण्ड **One time payment** के आधार पर लिए गए थे। एक्सिस लॉग टर्म इक्विटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड वर्ष 2014-15 में लिया गया था, जबकि आई0सी0आई0सी0आई0 इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड वर्ष 2015-16 में लिया गया था। मेरे द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के प्रापर्टी स्टेटमेन्ट में इस बात का उल्लेख भी किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेरे द्वारा एक्सिस लॉग टर्म इक्विटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड तथा आई0सी0आई0सी0आई0 इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड में कोई भी धनराशि जमा नहीं की गई है।

2- वित्तीय वर्ष 2019-20 में मेरे द्वारा एल0आई0सी0 में कोई प्रीमियम जमा नहीं किया गया, अपितु उक्त वर्ष में मुझे एल0आई0सी0 पॉलिसी में 1,20,000/-रूपये मनीबैंक के रूप में प्राप्त किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेरे द्वारा एल0आई0सी0 के प्रीमियम की कोई धनराशि जमा नहीं की गई एवं न ही कोई मनीबैंक उक्त वर्ष में पाया गया।

Date: 6.1.23

भवदीया,



(श्रीमती नूरी अंसार)

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट-द्वितीय /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
फैजाबाद।